दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.**387**/फ्लाई लीफ/**06/2023**

फ्लाई लीफ नंबर **06/2023**

सर्वसंबंधित .....ध्यान दें

वैगनों के खुले दरवाजों को रेल अवसंरचनाओं से टकराने से रोकने हेतु जेपीओ- **05/2023**

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 23.06.2020 के पत्र संख्या 2018/एम(एन)/951/34 पीटी के अंतर्गत एमटी और एमआरएस के अनुमोदन से जीडीआर जांच तथा दरवाजों के कार्यचालन पर अनुदेश जारी किया है. इन अनुदेशों को अनुबंध के रुप में रखा गया है. रेलवे बोर्ड के पत्र में गार्ड, लोको पायलट, टर्मिनलों पर ड्यूटीरत परिचालन, वाणिज्य कर्मचारी एवं यांत्रिक कर्मचारियों की निम्नलिखित कार्य एवं जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप में दिया गया है. कडाई से इनका पालन किया जाए.

1. लदान/उतराई के बाद दोनों तरफ वैगनों के दरवाजों को बंद और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी पार्टियों की होती है. मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक/वाणिज्य लिपिक या माल शेड के अन्य कर्मचारियों सहित रेलवे पर्यवेक्षक रेक रिलीज करने से पहले दरवाजे बंद करना सुनिश्चित करेंगे. रिलीज मेमो में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.
2. यदि किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगाया जा सकता या सुरक्षित नहीं किया जा सकता है तो लदान /उतराई पार्टी मेमो द्वारा मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर को वैगन और खराब दरवाजों का विवरण देगा. मेमो प्राप्त करने के बाद, मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक/उप स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन प्रबंधक आवश्यक मरम्मत, यदि कोई हो, के लिए सवमडि कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय लेंगे.
3. रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार रेक को बाहर ले जाने से पहले जीडीआर जांच की जाए और जीडीआर मेमो पर निर्धारित किए अनुसार हस्ताक्षर किया जाए.
4. नया बीपीसी जारी करते समय, गाड़ी परीक्षण कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि दरवाजों की फिटिंग सहित सभी दरवाजे, कार्यचालन स्थिति में हैं और सभी दरवाजे ठीक से बंद और सुरक्षित है. **"सभी दरवाजों की जाँच की गई और कार्यचालन स्थिति में पाए गए"** बीपीसी में स्पष्ट रूप से हाथ या रबर स्टैम्प से यह पृष्ठांकित किया जाए.
5. सवमाडि कर्मचारियों के परीक्षण के बाद नया बीपीसी जारी करते समय, कर्मीदल यह सुनिश्चित करें कि बीपीसी पर **"सभी दरवाजों की जाँच की गई और कार्यचालन स्थिति में पाए गए"** पृष्ठांकन उपलब्ध है.
6. वैगन दरवाजों को बंद करने के लिए जेसीबी या अन्य किसी प्रकार की मशीन का उपयोग न किया जाए. उतराई पार्टी दरवाजों को जबरदस्ती या गलत तरीके से बंद न करते हुए दरवाजे के खांचों में जमे कोयले या अन्य पदार्थों को साफ करना होगा.
7. दरवाजों को बंद करने और ताला लगाने के लिए, उतराई पार्टी के कर्मचारियों को आवश्यक औजार साथ रखना होगा.
8. दरवाजें की छोटी-मोटी खराबियों के मामले में, दरवाजों को सुरक्षित करते हुए अनुमत करें ताकि चलते समय दरवाजें न खुलें, किसी स्थायी संरचना से न टकराएं या किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए. मंडल नियंत्रण को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ऐसी वैगनों की सूचना दी जाए .
9. वैगन की लदान/उतराई के दौरान, दरवाजे को गलत तरीके से न खोले और किसी ट्रक से टकराने न दें. वैगन दरवाजों से ट्रक को पर्याप्त दूरी पर रखे ताकि वैगन दरवाजों को कोई नुकसान न पहुंचे.
10. वैगन दरवाजों या वैगनों को लदान /उतराई पार्टी द्वारा नुकसान पहुंचने के मामले में, मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक/स्टेशन प्रबंधक द्वारा इसकी रिकार्ड किया जाए और सवमाडि कर्मचारियों को सूचित किया जाए. ऐसे नुकसानो की लागत की वसूल की जाए.

11. जहां कहीं सवमाडि कर्मचारी तैनात नहीं हैं और यदि दरवाजे बंद नहीं हो रहे हो तथा वैगन बहुत उभरा हुआ हो, तो मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक/स्टेशन प्रबंधक द्वारा सवमाडि कर्मचारियों को तुरंत मरम्मत के लिए सूचित किया जाए.

12. सूचना प्राप्त होने पर, सवमाडि कर्मचारी खराब दरवाजों को ठीक/सुरक्षित करेंगे और इन वैगनों को फिट देंगे. . यदि वैगनों की मरम्मत नहीं की जा सकती है तो उन्हें अलग कर देना चाहिए.

13. मार्ग में खुले/लटकते दरवाजे का पता लगना संरक्षा और परिचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है. सभी गेटमैन, पाइंट्समैन, स्टेशन मास्टर/ उप स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन कर्मचारी, गश्ती और गुजरने वाली गाड़ी के कर्मीदल को ऐसे असुरक्षित वैगन दरवाजों के लिए देखना होगा और अगले स्टेशन को सूचित करना होगा.

14. चालन के दौरान कर्मीदल को बार-बार पीछे मुड़कर देखना होगा कि दरवाजे सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं. यदि कोई दरवाजा असुरक्षित पाया जाता है, तो रेक में उस वैगन के अनुमानित स्थान की जानकारी देते हुए अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाए. सहायक लोको पायलट सहित स्टेशन कर्मचारी और गार्ड तथा उस स्टेशन पर उपलब्ध अन्य रेल कर्मचारी दरवाजों को बंद करने/सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

15. किसी खराबी के कारण यदि दरवाजे को बंद नहीं किया जा सकता है, तो उस स्टेशन पर सवमाडि कर्मचारियों को बुलाने /वैगन को अलग करने/रेक को अगले सुविधाजनक परिचालनिक पाइंट तक अनुमत करने का निर्णय परिचालन कर्मचारियों द्वारा लिया जाएगा. सवमाडि कर्मचारियों को बुलाते समय वैगनों का विवरण जैसे वैगन नंबर और खराबी का प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाएगी. ऐसे वैगनों की आवाजाही की अनुमति देने से पहले संबंधित कर्मचारी इसकी संरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

16. यदि ब्लॉक सेक्शन में दरवाजे को असुरक्षित पाया जाता है, तो गार्ड और लोको पायलट/सहायक लोको पायलट, सेक्शन में उपलब्ध किसी भी रेल कर्मचारी की सहायता से उनके पास उपलब्ध साधनों से दरवाजे को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे. यदि दरवाजे को बंद/सुरक्षित करना संभव नहीं हो तो गाड़ी कर्मदल, नियंत्रण के परामर्श से ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे. ऐसी गाडियों को नॉन-प्लैटफार्म लाइनों पर लिया जाएगा.

17. माल शेड/साइडिंग या यार्ड में तैनात रेसुब कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वैगन के बंद दरवाजों के साथ कोई छेड़छाड़ न की गई है क्योंकि कुछ बदमाश चोरी करने या बची हुई सामग्री लेने के लिए वैगन के दरवाजे खोल सकते हैं.

18. खुले दरवाजों से संबंधित घटनाओं की उचित जांच की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए.

19. प्रमुख लदान/उतराई टर्मिनलों पर कैमरे लगाए जाए ताकि रेक की साइडिंग में आने/जाने समय की रिकॉर्डिंग की जा सके.

20. वस्तुओं की लदान के दौरान, आरडीएसओ द्वारा संस्तुत "लोडिंग पैटर्न" का कडाई से पालन किया जाए ताकि सामग्री दरवाजे पर न गिरे.

21. इंजीनियरी और सिगवदू विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय रेल आयाम अनुसूची 2022 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार स्थावर संरचनाओं को स्थापित किया जाता है.

हस्ता/-	**हस्ता /-**	**हस्ता/-**
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एफएस	**मुख्य चल स्टाक इंजीनियर/मालभाडा**	**मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक**
	प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी	

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**